

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/12646

भोपाल, दिनांक 14/10/2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत-समस्त,  
मध्यप्रदेश।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में तृतीय त्रैमास के लिए जिला पंचायतों को योजना क्रमांक-6299(0103) में जिला पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय हेतु बजट आवंटन जारी करने बाबत।

- 00 -

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 350/आर 22/2021/ब-1/चार, दिनांक 31.03.2021 से पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये आवंटन प्राप्त हैं। प्राप्त आवंटन के आधार पर पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मांग संख्या-62 के योजना क्रमांक-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण मद अंतर्गत सेगमेंट-0103 में जिला पंचायत के आहरण संवितरण अधिकारियों को तृतीय त्रैमास हेतु संलग्न परिशिष्ट के कॉलम -8 अनुसार अध्यक्ष हेतु राशि 05.872 लाख, कॉलम-9 अनुसार उपाध्यक्ष(सदस्य) हेतु राशि 02.381 लाख, एवं कॉलम-10 अनुसार सदस्य हेतु राशि 35.011 लाख इस प्रकार कॉलम-11 अनुसार कुल राशि 43.264 लाख (राशि रूपये-तिरतालीस लाख छब्बीस हजार चार सौ मात्र) का आवंटन आपके अधिकार क्षेत्र में सौंपा जाता है।

उक्त व्यय मांग संख्या-62-पंचायत शीर्ष-2853-अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग-[02]-खानों का विनियम तथा विकास-{198-ग्राम पंचायतों को सहायता}-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना(सब स्कीम)-#42-सहायक अनुदान-007-अन्य, मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

टीप:- बकाया कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/22/पं-1, दिनांक 18.04.2013 में उल्लेखित दर तथा बढ़े हुए कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं-1, दिनांक 25.01.2021 में उल्लेखित दर से किया जाना सुनिश्चित करे।(छायांप्रति संलग्न)


निरंतर...



मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-


- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :- परिशिष्ट  
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

  
 संयुक्त संचालक(वित्त)  
 पंचायत राज संचालनालय  
 मध्यप्रदेश  
 भोपाल, दिनांक 14/10/2021

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/ 12647  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. निज सहायक संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।  
की ओर सूचनार्थ।

  
 संयुक्त संचालक(वित्त)  
 पंचायत राज संचालनालय  
 मध्यप्रदेश

## पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2021-22 में तृतीय त्रैमास हेतु जिला पंचायत पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों) के मानदेय हेतु योजना क्रमांक-8209(196) तथा कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक-6299(0103) से जारी राशि का विवरण

(राशि रूपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	तृतीय त्रैमास हेतु जारी राशि								कुल जारी राशि
			योजना क्रमांक.-8209(196)				योजना क्रमांक.-6299(0103)				
			अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	उपाध्यक्ष (सदस्य) जिला पंचायत 4500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	योग 8209(196)	अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	उपाध्यक्ष (सदस्य) जिला पंचायत 4500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	योग 6299(0103)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बालाघाट	0105802002	10700	4400	108300	123400	11600	4700	116500	132800	256200
2	बड़वानी	0205802001	10700	4400	52000	67100	11600	4700	55800	72100	139200
3	बेतूल	0305802031	10700	4400	86700	101800	11600	4700	93100	109400	211200
4	भिण्ड	0405802019	10700	4400	82400	97500	11600	4700	88400	104700	202200
5	भोपाल	0505802003	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
6	छतरपुर	0605802014	10700	4400	86700	101800	11600	4700	93100	109400	211200
7	छिन्दवाड़ा	0705802015	10700	4400	104000	119100	11600	4700	111800	128100	247200
8	दमोह	0805802001	10700	4400	56400	71500	11600	4700	60400	76700	148200
9	दतिया	0905802004	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
10	देवास	1005802012	10700	4400	69400	84500	11600	4700	74400	90700	175200
11	धार	1105802008	10700	4400	108300	123400	11600	4700	116500	132800	256200
12	डिंडोरी	1205802010	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
13	गुना	1305802015	10700	4400	52000	67100	11600	4700	55800	72100	139200
14	ग्वालियर	1405802010	10700	4400	47700	62800	11600	4700	51100	67400	130200

14/11/2021

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	तृतीय त्रैमास हेतु जारी राशि								
			योजना क्रमांक.-8209(196)				योजना क्रमांक.-6299(0103)				कुल जारी राशि
			अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	उपाध्यक्ष (सददस्य) जिला पंचायत 4500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	योग 8209(196)	अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	उपाध्यक्ष (सददस्य) जिला पंचायत 4500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	योग 6299(0103)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	हरदा	1505802005	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
16	होशंगाबाद	1605802023	10700	4400	56400	71500	11600	4700	60400	76700	148200
17	इंदौर	1705802003	10700	4400	65000	80100	11600	4700	69800	86100	166200
18	जबलपुर	1805802019	10700	4400	65000	80100	11600	4700	69800	86100	166200
19	झाबुआ	1905802002	10700	4400	52000	67100	11600	4700	55800	72100	139200
20	कटनी	2005802010	10700	4400	52000	67100	11600	4700	55800	72100	139200
21	खण्डवा	2105802023	10700	4400	60700	75800	11600	4700	65100	81400	157200
22	खरगौन	2205802122	10700	4400	104000	119100	11600	4700	111800	128100	247200
23	मंडला	2305802004	10700	4400	60700	75800	11600	4700	65100	81400	157200
24	मंदसौर	2405802012	10700	4400	65000	80100	11600	4700	69800	86100	166200
25	मुरैना	2505802004	10700	4400	78000	93100	11600	4700	83800	100100	193200
26	नरसिंहपुर	2605802006	10700	4400	56400	71500	11600	4700	60400	76700	148200
27	नीमच	2705802002	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
28	पन्ना	2805802010	10700	4400	52000	67100	11600	4700	55800	72100	139200
29	रायसेन	2905802002	10700	4400	65000	80100	11600	4700	69800	86100	166200
30	राजगढ़	3005802010	10700	4400	69400	84500	11600	4700	74400	90700	175200
31	रतलाम	3105802015	10700	4400	60700	75800	11600	4700	65100	81400	157200
32	रीवा	3205802019	10700	4400	130000	145100	11600	4700	139800	156100	301200
33	सागर	3305802018	10700	4400	108300	123400	11600	4700	116500	132800	256200
34	सतना	3405802014	10700	4400	104000	119100	11600	4700	111800	128100	247200
35	सीहोर	3505802006	10700	4400	65000	80100	11600	4700	69800	86100	166200

14/10/2023

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	तृतीय त्रैमास हेतु जारी राशि								कुल जारी राशि
			योजना क्रमांक.-8209(196)				योजना क्रमांक.-6299(0103)				
			अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	उपाध्यक्ष (सदस्य) जिला पंचायत 4500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	योग 8209(196)	अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	उपाध्यक्ष (सदस्य) जिला पंचायत 4500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	योग 6299(0103)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	सिवनी	3605802021	10700	4400	73700	88800	11600	4700	79100	95400	184200
37	शहडोल	3705802004	10700	4400	56400	71500	11600	4700	60400	76700	148200
38	शाजापुर	3805802016	10700	4400	39000	54100	11600	4700	41800	58100	112200
39	शिवपुरी	3905802005	10700	4400	91000	106100	11600	4700	97800	114100	220200
40	श्यापुर	4005802003	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
41	सीधी	4105802004	10700	4400	56400	71500	11600	4700	60400	76700	148200
42	टीकमगढ़	4205802015	10700	4400	69400	84500	11600	4700	74400	90700	175200
43	उज्जैन	4305802010	10700	4400	82400	97500	11600	4700	88400	104700	202200
44	उमरिया	4405802006	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
45	विदिशा	4505802012	10700	4400	73700	88800	11600	4700	79100	95400	184200
46	अनूपपुर	4605802004	10700	4400	39000	54100	11600	4700	41800	58100	112200
47	अशोकनगर	4705802004	10700	4400	39000	54100	11600	4700	41800	58100	112200
48	बुरहानपुर	4805802003	10700	4400	34700	49800	11600	4700	37100	53400	103200
49	अलीराजपुर	4905802002	10700	4400	43400	58500	11600	4700	46400	62700	121200
50	सिंगरौली	5005802001	10700	4400	52000	67100	11600	4700	55800	72100	139200
51	आगर-मालवा	5105802003	10000	900	32400	43300	7200	3100	49600	59900	103200
महायोग			545000	220900	3248900	4014800	587200	238100	3501100	4326400	8341200

14/10/2021  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
म.प्र.भोपाल

(4)

(22)

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

कमांक एफ 2-1-13/22/पं.1 विभाग के आदेश कमांक एफ 2-5/22/पं. 1/08 दिनांक 11 अगस्त 2008 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय एवं भत्ते स्वीकृत किए गये थे ।

2. राज्य शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत मानदेय भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है । संशोधित मानदेय(दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत) में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


कमांक	पदाधिकारी	पंचायत	वृद्धि पश्चात् कुल देय मानदेय (दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत)
1.	अध्यक्ष	जिला पंचायत	₹ 11,100/- प्रतिमाह
2.	उपाध्यक्ष	जिला पंचायत	₹ 9,500/- प्रतिमाह
3.	सदस्य	जिला पंचायत	₹ 4,500/- प्रतिमाह
4.	अध्यक्ष	जनपद पंचायत	₹ 5,500/- प्रतिमाह
5.	उपाध्यक्ष	जनपद पंचायत	₹ 4,500/- प्रतिमाह
6.	सदस्य	जनपद पंचायत	₹ 1,500/- प्रतिमाह
7.	सरपंच	ग्राम पंचायत	₹ 1,750/- प्रतिमाह
8.	पंच	ग्राम पंचायत	₹ 100/- प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम ₹ 600/- वार्षिक।

3. यह वृद्धि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी होकर 1 अप्रैल 2013 से देय होगी। भारत होने वाली राशि गौण खनिज राजस्व मद से भुगतान की जावेगी ।

4. मध्यप्रदेश पंचायत जिला/जनपद पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य) नियम 1995 में संशोधन पृथक से किया जा रहा है ।

5. यह आदेश वित्त विभाग की टीप यू.ओ.क. सी.आर. 81/चार/ब.4/2013 दिनांक 12.2.2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
 (ज. ज. राव)  
 सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

DS (PV)  
(B-4)

(23)

-2-

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013


क्रमांक एफ 2-1-13/22/पं.1

प्रतिलिपी-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. सचिव (सामान्य) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर उनकी टीप यू.ओ.क. सी.आर. 81/चार/ब.4/2013 दिनांक 28.02.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
4. आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश भोपाल
5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल
6. समस्त संभागीय आयुक्त, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
9. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जजपूर पंचायत मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

24

म.प्र. शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 25 .01.2021

क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1 विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-5/22/पं-1/08 दिनांक 11 अगस्त 2008 तथा आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/22/पंचा-1 दिनांक 18 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदेश की विस्तरीय पंचायतों के लिए गठित प्रशासकीय समितियों के प्रधान एवं सदस्यों को निम्नांकित तालिका में अंकित अनुसार मानदेय प्रदाय किया जावे :-

क्रमांक	पदाधिकारी	पंचायत	देय मानदेय (दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत)
1	2	3	4
1	प्रधान	प्रशासकीय समिति जिला पंचायत	11100/- प्रतिमाह
2	सदस्य	प्रशासकीय समिति जिला पंचायत	4500/- प्रतिमाह
3	प्रधान	प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत	6500/- प्रतिमाह
4	सदस्य	प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत	1500/- प्रतिमाह
5	प्रधान	प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत	1750/- प्रतिमाह
6	सदस्य	प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत	रूपये 100/- प्रतिमासिक बैठक के मान से अधिकतम रूपये 600/- वार्षिक

2. यह आदेश प्रशासकीय समिति के गठन अथवा प्रधान की नियुक्ति दिनांक जैसा कि उचित हो - से लागू होगा।

  
(श्रीम निकुम)  
अवर सचिव,  
म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



23

-2-

पृ० क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1

भोपाल, दिनांक 25.01.2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी म०प्र० शासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा० मंत्री जी/राज्यमंत्री जी म०प्र० शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

- 
1. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
  2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
  3. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  6. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
  7. कलेक्टर जिला समस्त म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
  8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shri  
25/1/21

अवर सचिव

म०प्र० शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग